अनुबंध–3

अधिमानी शेयर जारी करने से संबंधित दिशानिर्देश

ए. स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस) टियर-I पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र हैं

शहरी सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्वानुमोदन से अपने सदस्यों या उनके संचालन के क्षेत्र में रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति को अंकित मूल्य पर स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस) जारी करने की अनुमति है। शहरी सहकारी बैंक आवेदन पत्र, विवरणिका/प्रस्ताव दस्तावेज/सूचना ज्ञापन के साथ अनुमति मांगते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) को प्रस्तुत करेंगे। आवेदन के साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट से इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि प्रस्ताव दस्तावेज की शर्तें इन निर्देशों के अनुपालन में हैं। पीएनसीपीएस के माध्यम से जुटाई गई राशि को टियर-I पूंजी के रूप में शामिल करने के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।

2. जारी करने की शर्तें

2.1 सीमाएं

बकाया नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत (आईपीडीआई) के साथ पीएनसीपीएस और स्थायी ऋण लिखत (पीडीआई) की बकाया राशि किसी भी समय कुल टीयर-I पूंजी के 35 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उपरोक्त सीमा गुडविल और अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों की कटौती के बाद टियर-I पूंजी की राशि पर आधारित होगी, लेकिन यह सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश, यदि कोई हो, की कटौती के पहले होगी। 35 प्रतिशत की समग्र सीमा से अधिक जारी पीएनसीपीएस, टियर-II पूंजी के लिए निर्धारित सीमाओं के अधीन, ऊपरी टियर-II पूंजी के अंतर्गत शामिल किए जाने के पात्र होंगे। हालांकि, निवेशकों के अधिकार और दायित्व अपरिवर्तित रहेंगे।

2.2 राशि

जुटाई जाने वाली पीएनसीपीएस की राशि बैंकों के निदेशक मंडल द्वारा तय की जाएगी।

2.3 परिपक्वता

पीएनसीपीएस स्थायी होगा।

2.4 ऑप्शन्स

अ. पीएनसीपीएस को 'पुट ऑप्शन' या 'स्टेप अप ऑप्शन' के साथ जारी नहीं किया जाएगा।

आ. निम्नलिखित शर्तों के अधीन, पीएनसीपीएस कॉल ऑप्शन के साथ जारी किया जा सकता है:

i. लिखत के कम से कम दस वर्ष पूरे होने के बाद लिखत पर कॉल ऑप्शन की अनुमति है; तथा

ii. कॉल ऑप्शन का प्रयोग केवल विनियमन विभाग (डीओआर), आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा। कॉल ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते समय, आरबीआई अन्य बातों के साथ-साथ, कॉल ऑप्शन के प्रयोग के समय और कॉल विकल्प के प्रयोग के बाद, बैंक की सीआरएआर स्थिति को ध्यान में रखेगा।

25.04 **तुलन-पत्र में वर्गीकरण**

इन उपकरणों को 'पूंजी' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और तुलन पत्र में अलग से दिखाया जाएगा।

25.04 **लाभांश**

निवेशकों को देय लाभांश की दर बाजार द्वारा निर्धारित रुपया ब्याज बेंचमार्क दर के संदर्भ में एक निश्चित दर या एक फ्लोटिंग दर होगी।

2.7 लाभांश का भुगतान

2.7.1 बैंक द्वारा लाभांश का भुगतान चालू वर्ष के लाभ में से वितरण योग्य अधिशेष की उपलब्धता के अधीन होगा, और यदि:

i. सीआरएआर आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता से ऊपर है

ii. इस तरह के भुगतान के प्रभाव के परिणामस्वरूप बैंक का सीआरएआर आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता से नीचे या शेष नहीं रह जाता है

25. पिछले वर्ष के अंत में तुलन पत्र कोई संचित हानि नहीं दिखाता है

2.7.2 लाभांश संचयी नहीं होगा, अर्थात एक वर्ष में छूटे हुए लाभांश का भुगतान बाद के वर्षों में नहीं किया जाएगा, भले ही पर्याप्त लाभ उपलब्ध हो और सीआरएआर का स्तर नियामक न्यूनतम के अनुरूप हो। जब लाभांश का भुगतान निर्धारित दर से कम दर पर किया जाता है, तो भविष्य के वर्षों में बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा, भले ही पर्याप्त लाभ उपलब्ध हो और सीआरएआर का स्तर नियामक न्यूनतम के अनुरूप हो।

2.7.3 लाभांश का भुगतान न करने/विनिर्दिष्ट दर से कम लाभांश के भुगतान के सभी मामलों की सूचना जारी करने वाले शहरी सहकारी बैंक द्वारा पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस), आरबीआई के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) को दी जानी चाहिए।

2.8 दावे की वरिष्ठता

पीएनसीपीएस में निवेशकों के दावे इक्विटी शेयरों में निवेशकों के दावों से ऊपर होंगे और अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीन होंगे।

2.9 मतदान अधिकार

पीएनसीपीएस में निवेशक किसी भी वोटिंग अधिकार के लिए पात्र नहीं होंगे।

2.10 छूट

पूंजी पर्याप्तता संबंधी उद्देश्यों के लिए पीएनसीपीएस प्रगतिशील छूट के अधीन नहीं होंगे क्योंकि ये स्थायी रूप के हैं।

2.11 अन्य शर्तें

2.11.1 पीएनसीपीएस पूरी तरह से चुकता, अरक्षित और किसी भी प्रतिबंधात्मक खंड से मुक्त होंगे।

2.11.2 शहरी सहकारी बैंक पीएनसीपीएस जारी करने के संबंध में अन्य नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों, यदि कोई हो, का भी पालन करेंगे, बशर्ते कि वे इन दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के विरोध में न हो। विवाद के किसी भी घटना को पूंजी में शामिल करने के लिए लिखत की पात्रता की पुष्टि की मांग के लिए डीओआर, आरबीआई के ध्यान में लाया जाए।

2.12 आरक्षित आवश्यकताओं का अनुपालन

2.12.1 पीएनसीपीएस जारी करके बैंक द्वारा जुटाई गई कुल राशि को आरक्षित आवश्यकताओं के प्रयोजन के लिए शुद्ध मांग और मीयादी देनदारियों की गणना के लिए देयता के रूप में नहीं माना जाएगा और इस तरह, इसके लिए सीआरआर / एसएलआर की आवश्यकता नहीं होगी।

2.12.2 हालांकि, सदस्यों/संभावित निवेशकों से एकत्र की गई राशि और पीएनसीपीएस के लंबित आवंटन को शुद्ध मांग और मीयादी देनदारियों की गणना के उद्देश्य से देयता के रूप में माना जाएगा और तदनुसार, यह आरक्षित आवश्यकताओं को आकर्षित करेगा। पूंजीगत निधियों की गणना के लिए ऐसी राशियों की गणना नहीं की जाएगी।

2.13 रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ

पीएनसीपीएस जारी करने वाले शहरी सहकारी बैंक, आरबीआई के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के पर्यवेक्षण विभाग को पीएनसीपीएस जारी होने के तुरंत बाद, प्रॉस्पेक्टस / प्रस्ताव दस्तावेज की एक प्रति के साथ जारी करने के नियम और शर्तों सहित जुटाई गई पूंजी का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

2.14 पीएनसीपीएस में निवेश और पीएनसीपीएस की खरीद के लिए अग्रिम

शहरी सहकारी बैंक किसी भी व्यक्ति को अपने स्वयं के पीएनसीपीएस या अन्य बैंकों के पीएनसीपीएस खरीदने के लिए कोई ऋण या अग्रिम नहीं देंगे। इसके अलावा, शहरी सहकारी बैंक अन्य बैंकों के पीएनसीपीएस में निवेश नहीं करेंगे और उनके या अन्य बैंकों द्वारा जारी पीएनसीपीएस की जमानत पर अग्रिम नहीं देंगे।

बी. अपर टियर-II पूंजी में शामिल करने के लिए स्थायी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस) / मोचनीय गैर-संचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस) / मोचनीय संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस)

शहरी सहकारी बैंकों को अपने सदस्यों या अपने संचालन क्षेत्र में रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति को अंकित मूल्य पर, आरबीआई की पूर्व स्वीकृति से स्थायी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस) / मोचनीय गैर-संचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस) / मोचनीय संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस) जारी करने की अनुमति है। शहरी सहकारी बैंक, विवरणिका/प्रस्ताव दस्तावेज/सूचना ज्ञापन के साथ अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। आवेदन के साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट से इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि प्रस्ताव दस्तावेज की शर्तें इन निर्देशों के अनुपालन में हैं। ये तीन लिखत, जिन्हें मिलकर टियर-II वरीयता शेयरों के रूप में संदर्भित किया जाता है, ऊपरी टियर-II पूंजी के रूप में शामिल किए जाने के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित नियमों और शर्तों का पालन करेंगे।

2. जारी करने की शर्तें

2.1 सीमाएं

टियर-II पूंजी के अन्य घटकों के साथ इन लिखतों की बकाया राशि किसी भी समय टियर-I पूंजी के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपरोक्त सीमा गुडविल और अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों की कटौती के बाद टियर-I पूंजी की राशि पर आधारित होगी, लेकिन सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश की कटौती, यदि कोई हो, से पहले होगी।

2.2 राशि

जुटाई जाने वाली राशि बैंकों के निदेशक मंडल द्वारा तय की जा सकती है।

2.3 परिपक्वता

टियर-II वरीयता शेयर या तो स्थायी (पीसीपीएस) या दिनांकित (आरएनसीपीएस और आरसीपीएस) लिखत हो सकते हैं जिनकी न्यूनतम परिपक्वता 10 वर्ष है।

2.4 ऑप्शन्स

2.4.1 ये लिखत 'पुट ऑप्शन' या 'स्टेप अप ऑप्शन' के साथ जारी नहीं किए जाएंगे।

2.4.2 इन लिखतों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन कॉल ऑप्शन के साथ जारी किया जा सकता है:

ए) लिखत के कम से कम दस वर्ष पूरा होने के बाद लिखत पर कॉल ऑप्शन की अनुमति है; तथा

बी) कॉल ऑप्शन का प्रयोग केवल डीओआर, आरबीआई के पूर्वानुमोदन से ही किया जाएगा। कॉल ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते समय डीओआर, आरबीआई अन्य बातों के साथ-साथ, कॉल ऑप्शन के प्रयोग के समय और कॉल ऑप्शन के प्रयोग के बाद, बैंक की सीआरएआर स्थिति को ध्यान में रखेगा।

25.04 **तुलन पत्र में वर्गीकरण**

इन लिखतों को 'उधार' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और तुलन पत्र में अलग से दर्शाया जाएगा।

25.04 **कूपन**

निवेशकों को देय कूपन या तो निश्चित दर पर या बाजार द्वारा निर्धारित रुपया ब्याज बेंचमार्क दर के संदर्भ में फ्लोटिंग दर पर हो सकता है।

2.7 कूपन का भुगतान

2.7.1 इन लिखतों पर देय कूपन को ब्याज के रूप में माना जाएगा और तदनुसार पी एंड एल खाते में डेबिट किया जाएगा। हालाँकि, यह तभी देय होगा जब:

ए) बैंक का सीआरएआर आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता से ऊपर है

बी) इस तरह के भुगतान के प्रभाव के परिणामस्वरूप बैंक का सीआरएआर न्यूनतम नियामक आवश्यकता से नीचे नहीं गिरता है या नीचे नहीं रहता है।

सी) बैंक को शुद्ध घाटा नहीं होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, शुद्ध हानि को या तो (i) पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में संचित हानि या (ii) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हुई हानि के रूप में परिभाषित किया गया है।

2.7.2 पीसीपीएस और आरसीपीएस के मामले में, अदत्त/आंशिक रूप से अदत्त कूपन को देयता के रूप में माना जाएगा। देय ब्याज राशि और शेष बकाया राशि को बाद के वर्षों में भुगतान करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि बैंक उपरोक्त आवश्यकताओं का अनुपालन करता हो।

2.7.3 आरएनसीपीएस के मामले में, आस्थगित कूपन का भुगतान भविष्य के वर्षों में नहीं किया जाएगा, भले ही पर्याप्त लाभ उपलब्ध हो और सीआरएआर का स्तर नियामक न्यूनतम के अनुरूप हो। तथापि, बैंक निर्दिष्ट दर से कम दर पर कूपन का भुगतान कर सकता है, यदि पर्याप्त लाभ उपलब्ध हो और सीआरएआर का स्तर नियामक न्यूनतम के अनुरूप हो, बशर्तेकि यह पैरा 2.7.1 के अनुरूप हो।
2.7.4 ब्याज का भुगतान न करने या निर्दिष्ट दर से कम दर पर ब्याज के भुगतान के सभी मामलों को जारी करने वाले यूसीबी द्वारा डीओएस, आरबीआई के संबंधित आरओ को सूचित किया जाना चाहिए।

2.8 मोचनीय टियर-II अधिमानी शेयरों का मोचन / चुकौती

धारक की पहल पर आरएनसीपीएस और आरसीपीएस को भुनाया नहीं जा सकेगा। परिपक्वता पर इन लिखतों का मोचन केवल डीओआर, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बाद, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों पर किया जाएगा:

ए) बैंक का सीआरएआर आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता से ऊपर है
बी) इस तरह के भुगतान के प्रभाव के परिणामस्वरूप बैंक का सीआरएआर न्यूनतम नियामक आवश्यकता से नीचे गिरता नहीं है या नीचे नहीं रहता है।

2.9 दावे की वरिष्ठता

इन लिखतों में निवेशकों के दावे टियर-I पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से ऊपर होंगे और निचले टियर-II पूंजी और जमाकर्ताओं सहित अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ होंगे। अपर टियर-II पूंजी में शामिल विभिन्न लिखतों के निवेशकों के बीच, दावे एक-दूसरे के समान होंगे।

2.10 मतदान अधिकार

टियर-II अधिमानी शेयरों में निवेशकों को कोई भी वोटिंग अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।.

2.11 सीआरएआर की गणना के उद्देश्य से प्रगतिशील छूट

मोचनीय अधिमानी शेयरों (संचयी और गैर-संचयी दोनों) को उनके कार्यकाल के पिछले पांच वर्षों में पूंजी पर्याप्तता संबंधी उद्देश्यों के लिए निम्नानुसार प्रगतिशील छूट के अधीन रखा जाएगा:

लिखतों की शेष परिपक्वता	छूट की दर (%)
एक साल से कम	100
एक साल और उससे अधिक लेकिन दो साल से कम	80
दो साल और उससे अधिक लेकिन तीन साल से कम	60
तीन साल और उससे अधिक लेकिन चार साल से कम	40
चार साल और अधिक लेकिन पाँच साल से कम	20

2.12 अन्य शर्तें

2.12.1 टियर II वरीयता शेयर पूरी तरह से चुकता, अरक्षित और किसी भी प्रतिबंधात्मक खंड से मुक्त होंगे।

2.12.2 शहरी सहकारी बैंक टियर II वरीयता शेयरों को जारी करने के संबंध में अन्य नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों, यदि कोई हो, का भी पालन करेंगे, बशर्तेकि वे इन दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट किसी भी नियम और शर्तों के विरोध में न हों। टियर II पूंजी में शामिल करने के लिए लिखत की पात्रता की पुष्टि संबंध में टकराव की किसी भी घटना को डीओआर, आरबीआई के ध्यान में लाया जाए।

2.13 आरक्षित आवश्यकताओं का अनुपालन

2.13.1 इन लिखतों को जारी करने के जारी करने वाले बैंक द्वारा जुटाई गई कुल राशि को आरक्षित आवश्यकताओं के उद्देश्य के लिए निवल मांग और मीयादी देनदारियों की गणना के लिए देयता के रूप में माना जाएगा और, इस तरह, यह सीआरआर / एसएलआर आवश्यकताओं को आकर्षित करेगा।

2.13.2 सदस्यों/संभावित निवेशकों से एकत्र की गई राशि और लंबित आबंटन को आबंटन प्रक्रिया समाप्त होने तक पूंजीगत निधि की गणना के अंतर्गत नहीं माना जाएगा।

2.14 रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ

इन लिखतों को जारी करने वाले शहरी सहकारी बैंक, जारी किए जाने के तुरंत बाद, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के पर्यवेक्षण विभाग, आरबीआई को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें विवरणिका/प्रस्ताव दस्तावेज़ की एक प्रति के साथ जारी करने के नियम और शर्तों सहित जुटाई गई पूंजी का विवरण होगा।

2.15 टियर-II अधिमानी शेयरों में निवेश और टियर-II अधिमानी शेयरों की खरीद के लिए अग्रिम

शहरी सहकारी बैंक किसी भी व्यक्ति को अपने स्वयं के टियर-II वरीयता शेयर या अन्य बैंकों के टियर-II वरीयता शेयरों को खरीदने के लिए कोई ऋण या अग्रिम नहीं देंगे। शहरी सहकारी बैंक अन्य बैंकों द्वारा जारी किए गए टियर-II वरीयता शेयरों में निवेश नहीं करेंगे और उनके या अन्य बैंकों द्वारा जारी किए गए टियर-II वरीयता शेयरों की जमानत पर अग्रिम नहीं देंगे।